B- II
L- 36
I. Polity

भ्रष्टाचार और विशेषाधिकार

- नरसिंह राव वाद में (1998) उच्चतम न्यायालय ने चौंकाने वाला अप्रत्याशित निर्णय दिया न्यायालय के अनुसार यदि सदन के भीतर मतदान के लिए कोई रिश्वत लेता है तो संसद के विरुद्ध भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम 1988 के आधार पर कोई कार्यवाही नही होगी।
- यदि किसी सांसद ने रिश्वत लेकर वोट नहीं दिया तो उसके विरुद्ध भ्रष्टाचार अधिनियम के आधार पर कार्यवाही होगी।

- वर्ष 2024 में उच्चतम न्यायालय ने अपने पहले के निर्णय को परिवर्तित कर दिया और कहा कि विशेषाधिकार के नाम पर भ्रष्टाचार को संरक्षण नही दिया जा सकता।

सदन की अवमानना और विशेषाधिकार

- संविधान अथवा किसी विधि में इनके बीच कोई अंतर नही किया गया है, लेकिन उच्चतम न्यायलय ने यह अंतर किया है। क्योंकि न्यायलय ने कहा कि सांसदों की आलोचना करना, उन्हें अपराधी कहना यह सदन की अवमानना है और विशेषाधिकार तब बाधित होगा जब संसद या संसदीय समितियों के कार्य में बाधा उत्पन्न किया जाए।

Scanned by CamScanner

क्योंकि विशेषाधिकारों के नाम पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करना संगत नहीं है लेकिन संसद आज भी न्यायपालिका के इन निर्णयों को मानने के लिए सहमत नहीं है। जिसका तर्क है कि विशेषाधिकारों का निर्धारण केवल संसद कर सकती है।

आचार समिति (एथिक्स कमेटी)

- वर्ष 1993 में एन. एन. वोहरा समिति ने कहा कि भारत में अपराधियों, राजनेताओं तथा नौकरशाहों के बीच एक गठजोड़ स्थापित हो गया है जिनके द्वारा पूरी व्यवस्था का संचालन केवल अपने हितों के लिए किया जा रहा है। यह उल्लेखनीय है कि इसी दौर में राजनीतिक अपराधीकरण पर अपराधियों के राजनीतिकरण की प्रवृत्ति बढ़ी। जिससे विधि को तोड़ने वाले ही विधि के निर्माता बन गए। इसी सन्दर्भ में वर्ष 1997 में पहली बार राज्यसभा में आचार समिति का गठन किया गया।
- इसके बाद लोकसभा में भी (13वीं लोकसभा 2000) में तदर्थ आचार समिति का गठन किया गया जिसे वर्ष 2015 से स्थायी बना दिया गया। आचार समिति के उद्देश्य निम्नलिखित हैं-

(i) सार्वजनिक जीवन में सांसदों का व्यवहार अच्छा होना चाहिए।

Scanned by CamScanner

(ii) सांसदो एवं उनके परिवार के सदस्यों के बीच हितों का टकराव नही होना चाहिए।

(iii) सांसदो को अपने वित्तीय स्त्रोत और आय भी बताने होंगे।

हाल ही में आचार समिति की अनुशंसा पर लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा को बर्खास्त कर दिया गया था जिसे उच्चतम न्यायलय में भी चुनौती दी गई है। 2005 में सोमनाथ चटर्जी (तत्कालीन स्पीकर) के द्वारा 10 सांसदो को बर्खास्त किया गया था। यद्यपि आलोचक यह मानते हैं कि स्पीकर बर्खास्गी के बहाने अपने शक्ति का दुरूपयोग कर सकता है और यदि सांसद जनता के द्वारा निर्वाचित होता है तो उसे स्पीकर के द्वारा बर्खास्त करना संवैधानिक अथवा वैधानिक प्रावधानों के विरूद्ध है।

निष्कर्ष :-

संसदीय विशेषाधिकार को सूचीबद्ध करने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता है लोकसभा नियमों में भी इसे लिपि बद्ध किया जा सकता है जिससे शासन में ज्यादा पारदर्शिता बनेगी और सरकार के अंगो के बीच टकराव कम होगा।

Scanned by CamScanner

संकल्प और प्रस्ताव

- लोकसभा नियमों के अनुसार प्रस्ताव तीन प्रकार के होते हैं-

(i) मूल प्रस्ताव

(ii) अधीनस्थ प्रस्ताव

(iii) प्रतिस्थापन प्रस्ताव

मूल प्रस्ताव :- मूल प्रस्ताव को स्वतंत्र प्रस्ताव भी कहा जाता है क्योंकि यह किसी अन्य प्रस्ताव पर निर्भर नही है और प्रत्येक मूल प्रस्ताव ही संकल्प कहलाता है।

- प्रस्तावों के माध्यम से किसी सार्वजनिक महत्व के तात्कालिक विषय पर चर्चा होती है।
जिसके लिए -

(i) ध्यानाकर्षण प्रस्ताव
(ii) स्थगन प्रस्ताव
मुख्य हैं।

यदि मंत्रिपरिषद या सरकार अपने किसी नीति के निर्माण में विफल हो जाती है उसके विरुद्ध निन्दा प्रस्ताव लाया जाता है। जो किसी मंत्री विशेष और समूचे मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जा सकता है।

Scanned by CamScanner

अधीनस्थ प्रस्ताव :-

एक प्रस्ताव पर आधारित दूसरे प्रस्ताव को ही अधीनस्थ प्रस्ताव कहा जाता है जैसे- धन्यवाद प्रस्ताव पर संशोधन की मांग अधीनस्थ प्रस्ताव कहलायेगा।

प्रतिस्थापन प्रस्ताव :-

सदन में एक प्रस्तावों के स्थान पर दूसरे प्रस्ताव को प्रस्तुत करना ही प्रतिस्थापन प्रस्ताव है। जैसे- सदन में निंदा प्रस्तावों की मांग की जाती है तो स्पीकर इस प्रस्तावों के स्थान पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाने की अनुमति दे सकता है।

संकल्प :-

प्रस्ताव और संकल्प सदन के संचालन के ही दो मंत्र हैं जिनके माध्यम से सदन अपनी राय व्यक्त कर सकता है संकल्प के निम्नलिखित प्रकार हैं-

(i) संवैधानिक संकल्प

उदाहरण के लिए नई आखिल भारतीय सेवा के निर्माण हेतु(अनुच्छेद)राज्य सभा संकल्प पारित करती है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाने के लिए लोकसभा अथवा राज्यसभा (किसी भी सदन) में संकल्प लाया जा सकता है।

Scanned by CamScanner

(iii) सरकारी संकल्प -

हाल ही में मंत्रिपरिषद के द्वारा लोकसभा के समक्ष विगत एक दशक की आर्थिक स्थिति पर संकल्प प्रस्तुत किया गया।

(iv) निजी संकल्प :-

किसी सांसद के द्वारा सदन के समक्ष निजी विधेयक लाना ही निजी संकल्प है उदाहरण के लिए समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर निजी सांसद के द्वारा विधेयक लाया गया। संकल्प पर मतदान होता है जबकि प्रस्ताव पर मतदान होना आवश्यक नहीं है।

निष्कर्ष :-

प्रस्ताव और संकल्प में मूल अंतर प्रक्रिया का है न कि विषयवस्तु का। इनके द्वारा सदन की कार्यवाही एवं सदन के मत को प्रकट किया जाता है।

संसदीय समितियाँ :-

• संसदीय समितियाँ सदन के आँख और कान है और संसद के सभी कार्यों का संचालन संसदीय समितियों के द्वारा किया जाता है और संसदीय समितियों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES KHAN SIR

Scanned by CamScanner

(i) वित्तीय समितियों - जिनमें लोक लेखा समिति (PSC) प्राक्कलन समिति एवं सार्वजनिक उद्यमों से संबंधित समिति है।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

Scanned by CamScanner